तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/2/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अनु.। TDR Report अप्राप्त। पुनः लिखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट दि. 29/2/24 को पेश हो।
29/2/24	पत्रावली पेश हुई। शिकायत कर्ता ग्राम वासी जाखडुन्द अनुपस्थित। शिकायत कर्ताओं द्वारा दिनांक 12/8/2013 को शिकायत प्रस्तुत कर श्री सोया फेक्ट्री द्वारा केमिकल युक्त गन्दा पानी के रिसाव एवं फैलाव से बिमारी की आशंका के मध्यनजर उक्त केमिकल युक्त पानी को रोककर अन्यत्र निकासी का निवेदन किया। शिकायत को अन्तर्गत धारा 133 C.R.P.C में दर्ज कर Notice जारी कर प्रबन्धक श्री सोया से जवाब तलब किया गया। जिसके तहत प्रबन्धक श्री सोया फेक्ट्री ने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान स्टेट Polution Control Board द्वारा फेक्ट्री को अनुज्ञापत्र जारी किया हुआ है। कन्ट्रोल बोर्ड के निर्देशानुसार ही फेक्ट्री का सन्चालन किया जा रहा है। औद्योगिक व शासकीय नियमों की पालना करते हुए प्रदूषण रहित वातावरण के साथ फेक्ट्री का सन्चालन किया जा रहा है। प्रकरण में तहसीलदार तालेड़ा से रिपोर्ट मौका ली गई जिसके अनुसार नायब तहसीलदार तालेड़ा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27/2/24 से अवगत कराया कि श्री सोया फेक्ट्री विगत 1 वर्ष से बन्द है व मौके पर किसी प्रकार का अपशिष्ट फैला हुआ नहीं है। किसी प्रकार का प्रदूषण होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः रिपोर्ट मौका, जवाब प्रबन्धक श्री सोया फेक्ट्री एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान में फैक्ट्री का संचालन नहीं होने से क्षेत्र में प्रदूषण की सम्भावना नगण्य है। साथ ही उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासी जनसमूह ने किसी प्रकार की प्रदूषण के सम्बन्ध में नवीन शिकायत एवं दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी की शिकायत का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं रह जाने से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 133 CRPC निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो। ह॰ अं॰	